

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2011-12/ 2808
कार्यालय आदेश

दिनांक:- 28/2/2012

मण्डल की निम्नलिखित योजनाओं/शहरों में भी "नवीन पंजीकरण योजनाएं" प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	शहर	योजना	आय वर्ग	प्रस्तावित आवास / फ्लैट की संख्या	स्ववित्त पोषित/ पंजीकरण योजना वर्ष 2012	अन्य विवरण
1.	जयपुर	प्रताप नगर, सेक्टर-18	मध्यम 'ब' (एस+6)	240	स्ववित्त पोषित योजना	(पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु) जयपुर शहर के प्रताप नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को प्रथम वरीयता, मानसरोवर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा इन्दिरा गांधी नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को तृतीय वरीयता वर्षवार प्रदान की जायेगी।
2.	जयपुर	प्रताप नगर, सेक्टर 22	मध्यम 'ब' (डुपलेक्स) उच्च आय वर्ग (डुपलेक्स)	131 19	स्ववित्त पोषित योजना (केवल जयपुर शहर के पूर्व पंजीकृत आवेदकों हेतु)	जयपुर शहर के प्रताप नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को प्रथम वरीयता, मानसरोवर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा इन्दिरा गांधी नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को तृतीय वरीयता वर्षवार प्रदान की जायेगी।
3.	जयपुर	प्रताप नगर, सेक्टर-28	अल्प आय वर्ग (जी+3)	208	प्रताप नगर (जयपुर) पंजीकरण योजना वर्ष 2012	(पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु) जयपुर शहर के प्रताप नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को प्रथम वरीयता, मानसरोवर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा इन्दिरा गांधी नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को तृतीय वरीयता वर्षवार प्रदान की जायेगी।

७८


3	जयपुर	मानसरोवर	मध्यम 'ब' (एस+9)	180	स्ववित्त पोषित योजना (केवल जयपुर शहर के पूर्व पंजीकृत आवेदकों हेतु)	जयपुर शहर के मानसरोवर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को प्रथम वरीयता, प्रताप नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा इन्दिरा गांधी नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को तृतीय वरीयता वर्षवार प्रदान की जायेगी।
4	जयपुर	इन्दिरा गांधी नगर, सेक्टर 4 एवं सेक्टर 6	मध्यम 'अ' (जी+3)	128	इन्दिरा गांधी नगर (जयपुर) पंजीकरण योजना वर्ष 2012	(पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु) जयपुर शहर के इन्दिरा गांधी नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को प्रथम वरीयता, मानसरोवर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा प्रताप नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को तृतीय वरीयता वर्षवार प्रदान की जायेगी।
5	जोधपुर	चोपासनी (उद्यान अपार्टमेंट), से0 21 'ई'	उच्च आय वर्ग (एस+9) मध्यम 'अ' (जी+3)	72 112	स्ववित्त पोषित योजना	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु।
6	जोधपुर	चोपासनी (मेवाड अपार्टमेंट), सेक्टर-14	मध्यम 'ब' (एस+9)	72	स्ववित्त पोषित योजना	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु।
7	आबू रोड	मानपुर योजना	आ0 दू0 से कम0 आय वर्ग अल्प आय वर्ग मध्यम 'अ' मध्यम 'ब' उच्च आय वर्ग	120 120 80 20 12	मानपुर योजना (आबू रोड) पंजीकरण योजना, वर्ष 2012	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु।
8	अलवर	एन.ई.बी. योजना	अल्प आय वर्ग (जी+2)	96	एन.ई.बी. योजना (अलवर) पंजीकरण योजना, वर्ष 2012	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु
9	भीलवाडा	पटेल नगर	उच्च आय वर्ग (डुपलेक्स) मध्यम 'ब' (डुपलेक्स) मध्यम 'अ' (डुपलेक्स)	61 90 37	स्ववित्त पोषित योजना	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु

10	भीलवाडा	गुलावपुरा	मध्यम 'अ'	26	स्ववित्त पोषित योजना	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु
11	उदयपुर	गोवर्धन विलास	मध्यम 'अ' (जी। 3)	144	गोवर्धन विलास योजना (उदयपुर) पंजीकरण योजना, वर्ष 2012	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु
12	सागवाडा	नई आवासीय योजना	आ० दृ० से कम० आय वर्ग अल्प आय वर्ग मध्यम 'अ' मध्यम 'ब' उच्च आय वर्ग	119 49 18 36 18	नई आवासीय योजना (सागवाडा) पंजीकरण योजना, वर्ष 2012	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु
13	बासवाडा	परतापुर आवासीय योजना	आ० दृ० से कम० आय वर्ग मध्यम 'ब' उच्च आय वर्ग	56 56 41	परतापुर आवासीय योजना (बासवाडा) पंजीकरण योजना, वर्ष 2012	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु
14	नागौर	बालवा रोड	आ० दृ० से कम० आय वर्ग अल्प आय वर्ग मध्यम 'अ' मध्यम 'ब' उच्च आय वर्ग	56 83 169 50 09	बालवा रोड आवासीय योजना (नागौर) पंजीकरण योजना, वर्ष 2012	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु
15	हनुमानगढ	नई आवासीय योजना	मध्यम 'अ' मध्यम 'ब' उच्च आय वर्ग	76 38 46	नई आवासीय योजना (हनुमानगढ) पंजीकरण योजना, वर्ष 2012	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु
16	अजमेर	नसीराबाद आवासीय योजना	आ० दृ० से कम० आय वर्ग मध्यम 'ब'	263 35	नसीराबाद आवासीय योजना (अजमेर) पंजीकरण योजना, वर्ष 2012	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु

७२
(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, महो./ आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, एन आर म०, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा०आ०म०, जयपुर को स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सक्षम स्तर से योजना प्रारम्भ/अन्तिम तिथि का निर्धारण करवायें, प्रस्तावित आवासों/फ्लैटों का अनुमानित लागत निर्धारित करवाकर, निर्धारित समय में बुकलेट तैयार करावें, एवं योजना प्रारम्भ करने की तिथि से पूर्व जनसम्पर्क अधिकारी के माध्यम से मण्डल नियमानुसार समाचार पत्रों में विज्ञापित का प्रकाशन करावें। उक्त कार्यवाही के साथ-साथ अन्य आवश्यक कार्यवाही यथा योजनाओं की तैयार बुकलेट की दो-दो प्रतियाँ अध्यक्ष सचिवालय/आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ तथा मु०स०प्र० प्रकोष्ठ में योजना प्रारम्भ तिथि से तीन दिवस पूर्व उपलब्ध करवाया, इत्यादि भी सुनिश्चित करें।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पी. एण्ड एम., रा०आ०म०, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म०, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, रा०आ०म०, जयपुर।
7. संबंधित उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... रा०आ०म०,
8. संबंधित आवासीय अभियन्ता, खण्ड-..... रा०आ०म०,
9. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/ आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक